प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.09.2026

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा दो बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 24.09.2026 वादी विकास पुत्र स्व0 कुवंर पाल सिंह निवासी मेहरौली द्वारा वादी के पुत्र हर्ष चौधरी को 8-10 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार हमला करना जिससे वादी के पुत्र को गंभीर चोट आने के संबध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टींम द्वारा दिनांक 26.09.2026 को अभियुक्त सुमित कनौजिया पुत्र गुड्डू निवासी बी – 09, 25 फुटा रोड आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को गोविन्दपुरम बस अड्डे के पास चौकी गोविन्दपुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा दो बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सुमित ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 24.09.2026 आपसी रंजीश के चलते लड़ाई झगड़ा हुआ था तथा चाकू बाजी भी हुयी थी। जिसमें हर्ष को चाकू लग गया था।

अभियुक्तगण का नाम पता-

- सुमित कनौजिया पुत्र गुड्डू नि0 बी – 09, 25 फिटा रोड आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष
- दो बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

पुलिस टीम थाना कविनगर पुलिस कमि0 गाजियाबाद
स्वाट टीम नगर जोन कमि0 गाजियाबाद

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 26.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 376(3) भादवि में अभियुक्त संदीप पुत्र कुंवरपाल निवासी लोनी बॉर्डर को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट पॉक्सो मैन, गाजियाबाद द्वारा धारा- 376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । विवेचक तत्कालीन उ0नि0 सोनू कुमार द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभि0गण द्वारा वादिया की पुत्री के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर दिनांक 24.01.2024 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।